

संख्या 27/11/2012-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून

विषय: डॉ0 (श्रीमति) मिथिलेश भारती, महिला चिकित्साअधिकारी का दाम्पत्य नीति के अंतर्गत राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बैठक में डॉ0 (श्रीमति) मिथिलेश भारती, महिला चिकित्साअधिकारी के दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन के संबंध में विचार किया गया । प्रकरण दाम्पत्य नीति के दिशानिर्देशों से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा उन्हें उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार डॉ0 (श्रीमति) मिथिलेश भारती, महिला चिकित्साअधिकारी का राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश किया जाता है । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधांशु,, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

